न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

पत्रावली संख्या : 43/2018 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर

आवेदक

बनाम

1. श्री निखिल अग्रवाल पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण जाति वैश्य उम्र 35 वर्ष मालिक एवं विकेता गडरमल लक्ष्मी नारायण चौबुर्जा बाजार जिला भरतपुर निवासी किला भरतपुर।
2. श्री अशोक नारायणी (मनीषा नारायणी) प्रो0 मनीषा एजेन्सी 7–8 जोशी कालौनी गायत्री मंदिर के पास कोन्ड्रिक पार्क के पीछे ब्रहमपुरी जयपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थित :– 1. गैरसायल नं. 1 स्वयं

निर्णय

दिनांक : 10.10.2019

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल दि. 27.08.2018 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायलान को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल संख्या 1 दिनांक 05.07.2019 को उपस्थिति हुआ। प्रार्थी को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु वह उपस्थित नहीं आये। इस्तगासा की नकल गैरसायल संख्या 1 को दी गई। नियत दिनांक 10.10.2019 को गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 29.11.2017 को प्रातः 11.00 बजे पर गैरसायल की

दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण दुकान पर 40 पैकिट पान मशाला (विमल ब्रान्ड) प्रत्येक पैकिट मे 30 पाऊच का विक्रय आम जनता के इस्तेमाल के लिये कर रहा था। जिसमें शक होने पर नियमानुसार मौके पर 40 पैकिट पान मशाला विमल ब्रान्ड मे से 16 पैकिट प्रत्येक 30 पाऊच 1774/–रूपये में क्रय किया गया तथा उसमें से नमूना लिया गया तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जांच हेतु भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–1179/एक्ट/2017/1200 दिनांक 18.12.2017 द्वारा उक्त पान मशाला विमल ब्रान्ड नमूना मिथ्याछाप स्तर (Misbranded) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा मिथ्याछाप स्तर का पान मशाला विमल ब्रान्ड आम जनता को विक्रय कर उक्त अधिनियम की धारा 26(2) का उल्लघंन किया गया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि यह प्रोडेक्ट मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है। प्रार्थी के द्वारा पान मशाला विमल ब्रान्ड में कोई मिलावट नहीं की गई है। प्रार्थी ने पान मशाला विमल ब्रान्ड मनीषा एजेन्सी 7–8 जोशी कालौनी गायत्री मंदिर के पास कोन्ड्रिक पार्क के पीछे जयपुर से क्रय किया है। गैरसायल ने स्वयं को परचूनिया की दुकान चलाकर छोटे स्तर का व्यापारी होना बताया है। जांच में जो कमिया पायी गई वह मेरे द्वारा नहीं की है। जो भी कमी पाई गई है वह मनीषा एजेन्सी 7–8 जोशी कालौनी गायत्री मंदिर के पास कोन्ड्रिक पार्क के पीछे जयपुर के द्वारा की है फिर भी अप्रार्थी स्वीकार करता है। जिसका मेरे द्वारा तत्समय ही सुधार कर लिया गया है। गैरसायल यह त्रुटि सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। भविष्य में गैर सायल अधिक सजगता बरतते हुये किसी भी खाद्य पदार्थ का आम जनता के लिये विक्रय करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 29.11.2017 को गैरसायल की दुकान से आमजनता के विक्रय हेतु संग्रहित पान मशाला विमल ब्रान्ड का नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 18.12.2017 में मिथ्याछाप स्तर (Misbranded) का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा स्वयं के स्तर पर पान मशाला विमल ब्रान्ड में कोई मिलावट नहीं करना तथा अन्य मनीषा एजेन्सी 7–8 जोशी कालौनी गायत्री मंदिर के पास कोन्ड्रिक पार्क के पीछे जयपुर से क्रय करना जाहिर किया है। उनके द्वारा भविष्य में अधिक सजगता से खाद्य पदार्थो का क्रय किया जाना दौराने सुनवाई स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में गैरसायल को भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। चूंकि गैरसायल के व्यापार परिसर पर 40 पैकिट पान मशाला (विमल ब्रान्ड) प्रत्येक पैकिट में 30 पाऊच ही वक्त जांच निरीक्षण संग्रहित पाये गये है, जो गैरसायल द्वारा अन्य ऐजेन्सी से क्रय किया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त अनियमितता प्रथम बार किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 5000/– रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। गैरसायल के द्वारा जुर्माना राशि जमा कोष की गई। कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दि. 10.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।